रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2000/वैशाख 7, 1922

No. 239] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2000/VAISAKHA 7, 1922

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2000

सा. का. नि. 364 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 294-क क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह राय होने पर कि नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के माल के संबंध में मांग ऐसे माल के उत्पादन या आपूर्ति से तत्वता अधिक है और यह कि ऐसे माल के लिए बाजार तैयार करने के लिए एक मात्र विक्रय अभिकर्ता की सेवाएं आवश्यक नहीं होंगी, यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में ऐसे माल के विक्रय के लिए किसी कम्पनी द्वारा एकमात्र विक्रय अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

सारणी

औषधि (कीमत-नियंत्रण) आदेश, 1987 में यथा परिभाषित ''प्रपुंज औषधि'', ''औषधि'' और ''विनिर्मितियां'' का प्रत्येक प्रवर्ग, जो, निम्नलिखित नहीं है,—

(i) आयुर्वेदिक (जिसके अन्तर्गत सिद्धा भी है) या युनानी (तिब्बती) चिकित्सा पद्धति में सम्मिलित कोई वास्तविक निर्मिति; या

(ii) होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में सम्मिलित कोई निर्मिती।

[फा. सं. 5/10/2000-सी. एल. 5]

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2000

G. S. R. 364(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 294 AA of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government being of the opinion that the demand for the category of goods specified in the Table below is substantially in excess of the production or supply of such goods and that the services of the sole selling agents will not be necessary to create a market for such goods, hereby declares that sole selling agents shall not be appointed by any company for the sale of such goods in India for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazaette.

TABLE

Every category of "Bulk drugs", "drugs" and "formulations" as defined in the Drugs (Prices Control) Order, 1987 not being :—

(i) Any bonafide preparation included in the Ayurvedic (including Siddha) or Unani (Tibb) systems of medicine; or

(ii) Any preparation included in the Homoeopathic system of medicine.

[F. No. 5/10/2000-CL.V]

A. RAMASWAMY, JtP. Secy.

1200 GI/2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.